राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 173

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 1 दिसंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

ऑस्ट्रेलियाई ओपनर वार्नर के तिहरे शतक से पाकिस्तान पस्त

>> 14

हम भारत के लोग

बंधुआ मजदूरी की बेड़ी तोड़ दूसरों को दिला रहे हक

प्रयागराज : देश को आजाद हुए 72 साल हो गए, लेकिन बंधुआ मजदूरी प्रथा अब भी समाप्त नहीं हो पाई है। प्रयागराज, उप्र में सैकड़ों परिवार बंधुआ मजदूर हैं। रोशन लाल और रवि शंकर ने बेड़ियों को तोड़ा और अब दूसरों को हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। (पेज-11)

रविवार विशेष

जो अटल व अपरिहार्य है, उसका शोक नहीं मनाता हाथरस

हाथरस : जो अटल व अपरिहार्य है, उसका शोक नहीं करना चाहिए। गीता के इस ज्ञान को उत्तर प्रदेश के हाथरस, जिले के 50 गांवों ने आत्मसात कर दिखाया है। वृद्धों के निधन पर यहां शोक नहीं, उत्सव मनाते हैं। (पेज-11)

जुर्माना घटाने में मनमानी नहीं कर सकते राज्य

अधिकारों की बात ▶ मोटर एक्ट के प्रावधानों पर विधि मंत्रालय ने दी सलाह

कई राज्यों ने लागू नहीं किया है केंद्र सरकार का बनाया नया कानून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राज्य सरकारों को मोटर एक्ट के तहत कंपाउंडेबल अपराधों में जुर्माना घटाने का मनमाना अधिकार नहीं मिल सकता है। ये अधिकार राज्य में मोटर अपराध से संबंधित दुर्घटनाओं के आंकड़ों पर निर्भर हैं। यदि किसी राज्य में खास तरह की सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, तो उस पर जुर्माना कम नहीं किया जा सकता। राज्य केवल उन्हीं उल्लंघनों में जुर्माना कम कर सकते हैं, जिनमें हादसों का ग्राफ नीचे गिर रहा हो। यह राय विधि मंत्रालय ने मोटर एक्ट पर जुर्माना घटाने के राज्यों के अधिकार के बाबत सड़क परिवहन मंत्रालय को दी है। यह राय गुजरात समेत उन राज्यों के लिए बड़ा झटका है, जिन्होंने अपने यहां बढ़े जुर्माने को लागू करने से इन्कार कर दिया था।

गुजरात के अलावा उत्तराखण्ड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल ने एक सितंबर से लागू मोटर एक्ट के बढ़े जुर्मानों को लागू करने से इन्कार कर दिया था। इन राज्यों ने कंपाउंडेबल अपराधों में धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार कम जुर्माना वसूलने का एलान किया था। उत्तर प्रदेश ने भी नए जुर्मानों की अधिसूचना जारी करने में आनाकानी का रवैया अपनाया था। कंपाउंडेबल अपराध ऐसे मामलों को कहा जाता है, जिनमें अदालत के बाहर सुलह-समझौता किया जा सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के रवैये पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य जुर्माना घटा सकते हैं, लेकिन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को भी ध्यान में रखना होगा जो लगातार बढ़ रही हैं। देश में हर साल पांच लाख दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। गडकरी ने ये बात तब कही थी, जब 2018 के सड़क हादसों के आंकड़े नहीं आए थे। अब ये आंकड़े आ चुके हैं, जिनसे दुर्घटनाओं और मौतों में और बढ़ोतरी का संकेत मिलता है। गडकरी के बयान के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से राय मांगी थी।

देश में नया मोटर एक्ट लागू होने के बाद लोगों में यातायात नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है। (फाइल फोटो)

63 धाराएं एक सितंबर से लागू

मोटर एक्ट पारित होने के बाद सड़क मंत्रालय फिलहाल इसकी 63 धाराओं को एक सितंबर से लागू करने की अधिसूचना जारी कर चुका है। ये वे धाराएं हैं, जिनके नियम बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जिन धाराओं के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे लागू किया जाएगा। अभी विभिन्न संगठनों के साथ इससे संबंधित चर्चाएं चल रही हैं।

मोटर एक्ट का मकसद हादसों में कमी लाना

विधि मंत्रालय का स्पष्ट मानना है कि संसद द्वारा पारित कानून को उसकी भावना के अनुरूप ही लागू किया जाना चाहिए। संशोधित मोटर एक्ट 2019 का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है न कि जस का तस रखना या दुर्घटनाओं को बढ़ावा देना।

हादसों के आंकड़ों से तय होगा जुर्माना

- विधि मंत्रालय का कहना है किसी राज्य को कंपाउंडेबल अपराधों में भी जुर्माना घटाने का असीमित अधिकार नहीं मिल सकता। यह उस राज्य में दुर्घटनाओं के आंकड़ों से तय होगा।
- मोटर एक्ट की धारा 174 से लेकर 198 तक के अपराध कंपाउंडेबल श्रेणी में आते हैं, जिनमें कोर्ट में चालान भेजे बगैर पुलिस मौके पर जुर्माना वसूल सकती है।
- उदाहरण के लिए बिना हेलमेट दुपहिया चलाने पर पहली बार 500 रुपये और दुबारा, तिबारा पकड़े जाने पर 5000 रुपये तक के जुर्माने व तीन माह की जेल तक का प्रावधान है।
- इसमें कोई राज्य तभी जुर्माना घटा सकता है, जब वहां बिना हेलमेट दुपहिया चालकों की मौतें कम हो रही हों। यदि मौतें बढ़ रही हैं तो राज्य जुर्माना नहीं घटा सकता।
- इसी प्रकार जिन अपराधों में जुर्माने की राशि न्यूनतम से लेकर अधिकतम तक निर्धारित हो उनमें राज्य को न्यूनतम राशि से कम जुर्माना वसूलने की आजादी नहीं है।

दुष्कर्म के आरोप में उप्र की सूचना आयुक्त और उनके बेटे पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, लखनऊ : नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के एक शिक्षिका के आरोप पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जल्द जांच करेगी।

दरअसल, एक प्रतिष्ठित स्कूल की शिक्षिका की मुलाकात पूर्व छात्र मिलिंद राज से 2016 में हुई थी। 25 मार्च 2016 को मिलिंद ने शिक्षिका को जन्मदिन की पार्टी के बहाने अपने घर पर बुलाया। इसके बाद शिक्षिका को नशीला पदार्थ पिला दिया और बेहोश होने पर दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। शिक्षिका ने पति को जानकारी दी तो उसने तलाक दे दिया। पीड़िता का आरोप है कि कोर्ट के जरिए केस करने पर मिलिंद और उनकी मां राज्य सूचना आयुक्त रचना पाल शादी का झांसा देकर साथ ले गई और 10 लाख रुपये हड़प लिए। पिछले दिनों सीजीएम ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। गोमतीनगर इंस्पेक्टर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयान और घटनास्थल की जांच जल्द की जाएगी।

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 4

नक्सलियों के गढ़ में लोकतंत्र का जश्न, 64.44 फीसद वोट पड़े

रांची : झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में नक्सलियों के गढ़ में लोकतंत्र का जश्न मना। जोश और उत्साह के बीच 13 विधानसभा सीटों पर लगभग 64.44 फीसद वोट पड़े, जो पिछले चुनाव से 1.15 फीसद अधिक है। धुर नक्सल प्रभावित इन इलाकों में लोगों ने भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

सियाचिन में हिमस्खलन से दो जवान शहीद, छह को बचाया

श्रीनगर : समुद्रतल से करीब 18 हजार फुट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रणक्षेत्र सियाचिन में शनिवार को हुए हिमस्खलन में नियंत्रण रेखा के पास गश्त कर रहे दो सैन्यकर्मी शहीद हो गए। छह अन्य जवानों को समय रहते बचा लिया गया। ज्ञात हो कि 12 दिन पहले हुए हिमस्खलन में चार जवानों समेत छह लोग शहीद हो गए थे।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

अटके घरों के निर्माण से होगी नए वर्ष की शुरुआत

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कहा है कि अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित स्पेशल विंडो की व्यवस्था अगले दो महीने में काम करना शुरू कर देगी। इकोनॉमिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बताया कि हम नए वर्ष का स्वागत अटकी हाउसिंग परियोजनाओं में निर्माण की दोबारा शुरुआत से करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

पाकिस्तान में रह चुका था लंदन ब्रिज का हमलावर उस्मान

लंदन : लंदन ब्रिज इलाके में शुक्रवार को चाकूबाजी से दो लोगों की हत्या और तीन अन्य को जख्मी करने वाले आतंकी की पहचान उस्मान खान (28) के रूप में हुई है। किशोरावस्था में वह पाकिस्तान चला गया। उसका परिवार मूल रूप से गुलाम कश्मीर का रहने वाला है। गुलाम कश्मीर में उसने अपनी जमीन पर आतंकी प्रशिक्षण शिविर बना रखा था।

भारत के बगैर आरसेप में नहीं शामिल होगा जापान

- दो टूक कहा, भारत की चिंताओं का निराकरण करें सदस्य देश
- गत दिनों कहा था, समझौते पर दस्तखत से पहले भारत को मना लेंगे

नई दिल्ली, आइएएनएस : आरसेप के मुद्दे पर भारत को जापान का साथ मिला है। जापान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह भारत की भागीदारी के बगैर रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरसेप) में शामिल नहीं होगा। जापान ने स्पष्ट किया कि वह आरसेप का हिस्सा तभी बनेगा जब इसमें शामिल देश भारत की चिंताओं का निराकरण कर उसे समझौते का हिस्सा बनाएंगे। जापान द्वारा यह घोषणा दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की गुरुवार को प्रस्तावित बैठक से पहले की गई है। आरसेप मुद्दे पर जापान का यह स्टैंड भारत के आर्थिक हितों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए आरसेप से खुद को अलग कर लिया था कि इसमें भारतीय हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। इससे छोटे उद्योगों व कृषि क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई दौर की वार्ता के बाद सरकार ने इस समझौते से खुद को अलग करने का फैसला लिया था। अब जापान के साथ आने से भारत के अलग-थलग पड़ने की संभावना क्षीण हो गई है। भारत द्वारा आरसेप से अलग होने के फैसले के बाद चीन ने कहा था कि भारत के बिना बाकी के 15 देश इस समझौते पर आगे बढ़ेंगे। भारत और जापान एशिया की दो बड़ी इकोनॉमी हैं। इन दोनों देशों के आरसेप से बाहर रहने की स्थिति में इस समझौते की सफलता पर भी नए सिरे से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। गौरतलब है कि आरसेप प्रस्तावित क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें 10 आशियान देशों के साथ चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया के नाम शामिल होने की बात कही जा रही है। इसकी शुरुआत 2012 में कंबोडिया में आयोजित आसियान देशों की बैठक के साथ हुई थी।

जापान के इस रुख के मायने

- एशिया की दो बड़ी शक्तियां अगर आरसेप से बाहर रहती हैं, तो यह पूरी कवायद लगभग निरर्थक हो जाएगी
- जापान ने भारतीय चिंताओं के निराकरण का दबाव बनाया है, ताकि आरसेप को प्रासंगिक बनाए रखा जाए
- आर्थिक मोर्चे पर भारत-जापान के कई व्यापारिक हित एक जैसे हैं, लिहाजा जापान के लिए भविष्य में भी भारत बड़ा सहयोगी बना रहेगा
- कूटनीति के मोर्चे पर भी भारत की यह बड़ी जीत है कि किसी भी बड़े आर्थिक सहयोग संगठन में भारत को दरकिनार करना अब संभव नहीं है

भारत-जापान की मांग, आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करे पाक

नई दिल्ली : भारत और जापान ने पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताते हुए उसे खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की है। भारत और जापान के बीच पहली टू प्लस टू वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना चाहिए। (पेज-3)

करतारपुर पर इमरान के मंत्री ने खोली पाकिस्तान की पोल

- कहा- कॉरिडोर सेना प्रमुख बाजवा के दिमाग की उपज, भारत को देंगे बड़ा घाव
- मंत्री के बयान से भारत के रक्षा विशेषज्ञों की आशंकाओं की पुष्टि हुई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सिखों के दो अहम गुरुद्वारों को जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर को खोलने के पीछे पाकिस्तान की असल मंशा साफ हो गई है। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने शनिवार को दावा किया कि करतारपुर कॉरिडोर सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के दिमाग की उपज है और यह भारत को बड़ा घाव देगा। अब तक यह माना जाता रहा है कि सिखों की भावनाओं के सम्मान में पाक पीएम इमरान खान ने इस कॉरिडोर को खोलने का फैसला किया था। हालांकि, सत्ता संभालने के कुछ ही हफ्ते बाद जब इमरान ने अचानक करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात कही थी, तभी भारत की सुरक्षा एजेंसियां व सुरक्षा विशेषज्ञ पड़ोसी देश की इस दरियादिली को लेकर संशकित हो गए थे। शेख राशिद के बयान ने इस शंका को और मजबूत किया है।

शेख राशिद फाइल फोटो

राशिद ने कहा, 'करतारपुर बार्डर को खोल कर जनरल बाजवा ने भारत को जो घाव दिया है वह उसे लंबे समय तक याद रखेगा। बाजवा ने भारत को बड़ा धक्का दिया है। पाक ने शांति के लिए नया माहौल बनाया है और सिख समुदाय का भरोसा जीता है।' राशिद ने इस बयान से परोक्ष तौर पर करतारपुर कॉरिडोर को पंजाब में अलगाववादी व आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की कोशिश की है। अपने इस बयान से उन्होंने अपने पीएम को झूठा भी करार दिया जो करतारपुर गलियारे का श्रेय स्वयं ले चुके हैं। ज्ञात हो, नौ नवंबर को ही एक भव्य कार्यक्रम में इमरान ने भारत से आमंत्रित कई गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया था। ऐसा नहीं है कि भारत करतारपुर कारीडोर से खालिस्तान आतंकवाद के नए सिरे से शुरु होने के खतरे को लेकर चुप है। पूर्व में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने स्वयं यह बात कही थी। कॉरिडोर को लेकर पाक के साथ जब भारत के विदेश व गृह मंत्रालय के अफसरों की चर्चा शुरू हुई तब ही भारत ने इस बात का जिक्र किया था। समझौते में भी इसका जिक्र है कि श्रद्धालुओं की भावनाएं भड़काने या भारत विरोधी गतिविधियों का कोई काम नहीं होगा, लेकिन पहले दिन जब भारतीय यात्रियों का जत्था वहां पहुंचा तो वहां खालिस्तान संबंधी पोस्टर लगे थे जिन्हें बाद में हटाया गया था। इसी तरह से करतारपुर गलियारे के प्रचार के लिए पाकिस्तान सरकार ने जो प्रचार सामग्री तैयार की थी उसमें एक खालिस्तानी आतंकी का फोटो था जिसे भारत की आपत्ति के बाद हटा दिया गया था।

130 करोड़ भारतीयों का जीवन सशक्त बना रही राजग सरकार : मोदी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के ध्येय वाक्य से प्रेरित और 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से नए जोश से राजग सरकार का 130 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने और देश के विकास का काम जारी है। अपने दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे करने के अवसर पर मोदी ने 'सिक्समंथ्सऑफइंडियाफर्स्ट' हैशटैग से एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार ने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन्होंने देश के विकास और सामाजिक सशक्तीकरण को गति दी है और देश की एकता को मजबूत बनाया है। (पेज-3)

महाराष्ट्र में वंदेमातरम से सत्र शुरू न होने पर विवाद

राज्य ब्यूरो, मुंबई

सियासी उठापटक के बाद बनी शिवसेनानीत उद्धव ठाकरे सरकार ने शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। सरकार को 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 169 मत मिले। विश्वास मत के समय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व में भाजपा व उसके सहयोगी सदस्यों ने संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार किया। फड़नवीस ने यह आरोप भी लगाया कि पिछले सत्र के अंत में चूंकि राष्ट्रगान हुआ था, इसका अर्थ था कि सत्रावसान हो गया था। लिहाजा नया सत्र नियमानुसार राष्ट्रगीत वंदेमातरम के साथ शुरू होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि सरकार इसे नया सत्र नहीं मान रही है।

शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही देवेंद्र फड़नवीस ने सदन की कार्यवाही नियमानुसार नहीं चलने पर आपत्ति जताई। फड़नवीस की आपत्ति गुरुवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में नियमों का पालन न होने को लेकर भी थी। उन्होंने कहा, संविधान में शपथ ग्रहण के लिए शब्दावली तय है। पूरे देश में सरकारें उसी के अनुसार शपथ लेती हैं, लेकिन गुरुवार को सदस्यों ने शपथ लेने के लिए उस शब्दावली में कई और नामों का प्रयोग किया जो संविधान विरुद्ध है। फड़नवीस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का उदाहरण देते हुए कहा, गलत शपथ लेने पर उन्हें पुनः शपथ लेनी पड़ी थी। फड़नवीस ने मंत्रियों को अवैध ठहराते हुए प्रोटेम स्पीकर बदले जाने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा, ऐसी घटना देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई।

विधानसभा में शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। एएनआइ

मैं अब तक मैदान में लड़ने वाला आदमी रहा हूं। लेकिन यहां जो व्यवहार देखा, उससे लगा कि मैदान ही सही था। मतभेद सभी के होते हैं, परंतु यहां गलत तरीके से मतभेद रखने की बात हुई।

– उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

पूर्णकालिक स्पीकर का चुनाव न होना संविधान विरुद्ध : फड़नवीस पेज>>4

उप्र में फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 190 शिक्षक बर्खास्त

जागरण संवाददाता, आगरा

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय से 2004-05 में बीएड की डिग्री लेकर नौकरी करने वाले 190 शिक्षकों (मैनपुरी में 74 व एटा में 116) को बर्खास्त किया गया है। इन शिक्षकों में अधिकांश की बीएड डिग्रियां फर्जी या फिर मार्कशीटें टेंपर्ड पाई गई हैं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि आगरा की वर्ष 2004-05 की बीएड डिग्रियों में विशेष जांच दल (एसआइटी) ने बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा था। इस जांच के आधार पर सभी जिलों को फर्जी डिग्रियों से नौकरी कर रहे शिक्षकों की सीडी दी गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग दो साल से इन फर्जी डिग्रीधारियों की जांच में जुटा रहा। जुलाई से शासन के दबाव बनने पर इन शिक्षकों की सूची फाइनल की गई। एटा और मैनपुरी में संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी करने के बाद नवंबर के प्रथम सप्ताह में उनका पक्ष सुना गया था। इसके बाद डीएम की अध्यक्षता वाली समिति ने सेवा समाप्त करने का फैसला लिया। एटा बीएसए संजय सिंह ने बताया कि 120 में से चार शिक्षकों के कानूनी कार्यवाही की वजह से कार्रवाई लंबित है। मैनपुरी में भी अभी चार शिक्षकों पर कार्रवाई होनी है।

एटा के छात्र की वजह से हुआ था पर्दाफाश : एटा निवासी छात्र सुनील की पहली मार्कशीट में 54 फीसद अंक थे। उसने बीएड सत्र 2004-05 में किया था। यह मार्कशीट गुम हो जाने पर उन्होंने डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवाई, उसमें अंक 84 फीसद थे। वर्ष 2013 में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें कहा कि विवि ने मुझे दो तरह की मार्कशीट दी हैं। इसकी जांच हो। हाई कोर्ट ने इसकी जांच एसआइटी को सौंप दी। इसके बाद बड़े घोटाले का राजफाश हुआ। एसआइटी ने 2016 में 5186 फर्जी छात्रों का ब्योरा विवि प्रशासन को सौंप दिया था।

BYJU'S The Learning App | IAS

PRELIMS MASTER 2020

प्रिलिम्स पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण कवरेज

@7,500/- STARTS 9TH DECEMBER 2019

कार्यक्रम की रूपरेखा

300+ घंटों की सामान्य अध्ययन और CSAT की विस्तृत कक्षाएं

बिना शुल्क प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज (30 TESTS)

अभ्यास हेतु अतिरिक्त 3000+ बहु वैकल्पिक प्रश्नोत्तर

UPSC के विगत 10 वर्षों के प्रश्नपत्रों का विशिष्ट विश्लेषण

समसामयिक विषयों का सम्पूर्ण कवरेज (3 वर्षों का)

भारत-2020 (ईयर बुक), आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टों का कवरेज

अद्यतन अध्ययन सामग्री

मॉक्स के लिए विशेष कक्षाएं

OFFICE : Shop No. 19, Vardhaman Central Hall, Nehru Vihar, Delhi

Call, SMS or WhatsApp 9205881869

आक्रोश

हैदराबाद में हैवानियत से पूरे देश में उबाल, दिल्ली की अनु दुबे ने दिया संसद के सामने धरना, संसद की चौखट पर विरोध दर्ज कराने अकेले पहुंचीं

दरिंदगी के खिलाफ गुस्से की आवाज बनीं अनु

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

हैदराबाद में युवा महिला चिकित्सक की दुष्कर्म के बाद हत्या और शव को जलाने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना ने सात साल पहले दिल्ली की निर्भया के साथ दरिंदों की बर्बरता के जख्मों को हरा कर दिया है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। इस दरिंदगी के खिलाफ दिल्ली की एक बेटी का गुस्सा भी फूट पड़ा और वह शनिवार को सुबह-सुबह हाथों में पोस्टर लिए संसद भवन के सामने विरोध करने पहुंच गई। जबकि, हैदराबाद में गुस्साई भीड़ ने उस थाने को दिन भर घेरे रखा, जहां दरिंदों को रखा गया था।

अनु अकेले ही विरोध करने संसद भवन पहुंची थी। उसने जो पोस्टर लिया था, उस पर लिखा था, 'मैं अपने भारत में सुरक्षित महसूस क्यों नहीं कर सकती।' दर्द और गुस्से से भरी अनु ने पोस्टर पर यह भी लिख रखा था कि 'लो जो करना है कर लो, अब डरने का मन नहीं करता।'

हर जगह असुरक्षित हैं बेटियां : अनु का गुस्सा सिर्फ हैदराबाद की घटना को लेकर ही नहीं है। उनका साफ कहना था कि आए दिन देश के किसी न किसी कोने से बेटियों के खिलाफ अत्याचार की खबरें आती हैं, लेकिन कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। अनु ने महिलाओं और लड़कियों से यह अपील भी कि उनके साथ कुछ भी गलत होने पर उसे बताएं वो उनके लिए भी प्रदर्शन करेगी।

अब तो घर में भी लगता है डर : मूलरूप से राजस्थान की रहने अनु ने कहा कि अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। इस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

दिल्ली पुलिस ने किया परेशान : अनु ने आरोप लगाया कि संसद भवन के सामने विरोध करने के कारण दिल्ली पुलिस ने परेशान किया। लेकिन दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि अनु को प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर जाने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्हें संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बाद में उसे रिहा कर दिया गया। अनु के समर्थन में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल भी थाने पहुंची। उन्होंने अनु के साथ बदसुलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस युवती से बदसलूकी के मामले की जांच कर रही है।

सोशल मीडिया पर भड़का गुस्सा : इस घटना से सोशल मीडिया पर भी उबाल आया है। दरिंदगी के खिलाफ विरोध का आवाज बनी अनु भी देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई और उनकी तुलना पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग से होने लगी, जिसने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में पहुंचकर सदस्यों को पर्यावरण को लेकर झकझोर कर रख दिया था।

हैदराबाद में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद जलाकर हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात के विरोध में शनिवार को संसद भवन के समीप धरना देने पहुंची युवती अनु दुबे मीडिया से बातचीत करते वक्त फूट-फूट कर रोने लगी। ध्रुव कुमार

चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए दरिंदे पेज>>5